

न्यायालय :- वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय - बैहर

S.T.No./55/2017
Filling No. ST/110/2017
CNR-MP5005-000-264-2017
संस्थित दिनांक-27.06.2016

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखंड
जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - - -

अभियोजन ।

// विरुद्ध //

छोटू सिंह नागवंशी पिता श्री पूरन सिंह नागवंशी उम्र 21 साल
निवासी- ग्राम पाण्डया टोला पोस्ट जानपुर तहसील बिरसा
थाना मलाजखण्ड जिला-बालाघाट - - - - - अभियुक्त ।

श्री अभिजीत बापट, ए.जी.पी. वास्ते अभियोजन ।

श्री आर.के.चौहान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-छोटूसिंह ।

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 10 मई 2018 को घोषित)

1. अभियुक्त छोटूसिंह पर धारा 363, 366, 376 (1), 376 (2)(एन) भा.द.वि. के अधीन यह आरोप है कि दिनांक 02.09.2015 को 17:00 बजे ग्राम जानपुर थाना मलाजखण्ड से अवयस्क अभियोक्त्री (जिसका नाम रिसियो Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684 तथा Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) को उसके अभिभावकगण की सम्मति के बिना ले जाया जाकर व्यपहरण करने तथा उसे व्यपहरण कर ग्राम पंडियाटोला जानपुर में रोहित के घर के कोठा में अयुक्त संभोग करने के लिये उत्प्रेरित करने एवं उक्त अवधि में मलाजखण्ड से व्यपहरण कर रायपुर, वर्धा, नागपुर ले जाया जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक बलात्संग करने एवं पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत उसके ऊपर

पेनिट्रेटिव सेक्सुएल एसाल्ट कारित किया।

2. अभियोजन का मामला यह है कि घटना दिनांक 02.09.15 को अभियोक्त्री कक्षा दसवी की छात्रा थी, जो उक्त दिनांक को स्कूल गई थी तथा बाद में स्कूल से वापस नहीं आने पर तलाश पश्चात मलाजखण्ड पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, बाद में अभियोक्त्री पांच माह बाद आरोपी के साथ दस्तयाब की गई, तब अभियोक्त्री ने अपने अभिभावकगण से यह शिकायत की, कि आरोपी छोटू सिंह ने अपने साथ उसे मोटरसाईकिल में बैठाकर रायपुर, नागपुर, वर्धा ले जाया जाकर व्यपहरण कारित किया तथा उक्त अवधि में उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्संग किया। मलाजखण्ड पुलिस ने दस्तयाबी पंचनामा प्र0पी01 निर्मित किया तथा अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा अभियोक्त्री को उसके अभिभावकगण को सौंप दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के स्कूल से उसकी जन्मतिथि के संबंध में दाखिल खारिज रजिस्टर की इंट्री से संबंधित सर्टिफिकेट जप्त कर सम्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपार्पण एवं अंतरण पश्चात इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3. चार्ज की स्टेज पर अभियुक्त ने उक्त अपराध से अस्वीकार किया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त ने उसे झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

4. **अवधार्य प्रश्न :-**

1. क्या घटना दिनांक 02.09.2015 को आरोपी ने ग्राम जानपुर थाना मलाजखण्ड में अवयस्क अभियोक्त्री को उसके अभिभावकगण की सम्मति के बिना ले जाकर व्यपहरण कारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक को आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध ग्राम जानपुर से रायपुर, वर्धा,

नागपुर ले जाकर यह जानते हुये कि उसे अयुक्त संभोग के लिये विवश किया जाएगा, व्यपहरण कारित किया ?

3. क्या उक्त अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री को अपने साथ पंडियाटोला थाना मलाजखंड से रायपुर, वर्धा, नागपुर ले जाया जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार कारित किया ?
4. क्या उक्त अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री के उपर पेनीट्रेटिव सेक्सुएल एसाल्ट कारित कर पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध कारित किया ?

अवधार्य प्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5. अभियोक्त्री (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन बयान में अपनी जन्म तिथि 10 जुलाई 2000 बताई है तथा उसके अभिभावक हेमा (अ.सा.1) एवं हल्कूदास (अ.सा.2) ने भी घटना के समय अभियोक्त्री की आयु लगभग 15 वर्ष होने के संबंध में कथन किया है। तत्संबंध में विवेचक सिरपत महोबे (अ.सा.6) ने व्यक्त किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री के विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जानपुर के प्राचार्य कार्यालय से अभियोक्त्री के जन्मतिथि के संबंध प्रमाण पत्र प्रपी06 प्राप्त किया था। उपरोक्त बिंदु पर सुभाष ठाकरे (अ.सा.5) प्राचार्य ने अपने बयान में व्यक्त किया है कि उनके विद्यालय के अभिलेख दाखिल खारिज रजिस्टर के अनुसार सरल क्रमांक 1286 पर अभियोक्त्री की जन्मतारीख 10 जुलाई 2000 दर्शायी गई है तथा अभियोक्त्री ने उनके विद्यालय में कक्षा नवमी में टी.सी. के आधार पर दाखिला प्राप्त की थी। साथ ही में सुसंगत मूल दाखिल खारिज पंजी प्र.पी.5 अभिलेख पर प्रस्तुत कर प्रमाणित किया है तथा उसके अनुसार जन्मतिथि 10.07.2000 होना बताया है। यह भी व्यक्त किया है कि उन्होंने प्र.पी.6 का प्रमाण पत्र जारी किया था। जिरह में यह आया है कि प्र.पी.6 के प्रमाण पत्र में अभियोक्त्री की जन्मतिथि के माह के कॉलम में फरवरी दर्शित है, उक्त तुच्छ त्रुटि के आधार पर अभियोजन के मामले पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त त्रुटि के आधार पर बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है।

6. बचाव पक्ष ने यह तर्क किया है कि अभियोजन ने अभिलेख पर संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं किया है कि अभियोक्त्री की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष से नीचे की थी। यह भी आधार लिया गया है कि अभियोक्त्री के स्कूल के प्राचार्य के बयान विश्वसनीय श्रेणी के नहीं हैं।

7. उक्त संदर्भ में न्यायदृष्टांत :- जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 7 एस.एस.सी. 263 के मामले में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि किशोर की आयु का निर्धारण धारा 68(1) किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम 12 के अनुसार किया जाना चाहिए। सतपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2010 (8) एस.सी.सी. 714 में दिये गये अभिमतानुसार किशोर की उम्र के निर्धारण के संबंध में स्कूल के रजिस्टर में जन्म दिनांक की प्रविष्टि पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किये जाने से धारा 35 भारतीय साक्ष्य विधान के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है।

8. प्राचार्य सुभाष ठाकरे (अ.सा. 5) के बयान में यह आया है कि उनके विद्यालय के दाखिल खारिज रजिस्टर प्र.पी. 5 के अनुसार अभियोक्त्री की जन्मतिथि 10 जुलाई 2000 दर्शाई गई है। यद्यपि श्री ठाकरे ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि माह के कॉलम में ओव्हरराइटिंग है लेकिन उक्त तुच्छ विसंगति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से नीचे नहीं थी।

9. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष यह है कि घटना दिनांक 02.09.2015 को अभियोक्त्री की आयु लगभग 18 वर्ष से नीचे होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

अवधार्य प्रश्न क्रमांक-2, 3 एवं 4 का निष्कर्ष :-

10. अभियोक्त्री ने अपने बयान में व्यक्त किया है कि घटना

दिनांक 02.09.15 को वह लगभग 10:00 बजे विद्यालय जा रही थी, तब रास्ते में 2 लड़को ने जिनके मुंह पर नकाब बंधा था जबरदस्ती मोटरसाईकिल में बैठाकर व्यपहरण किया तथा बस से रायपुर एवं आगे वर्धा ले जाया गया। साक्षी ने आगे यह व्यक्त किया है कि बाद में रायपुर में आरोपी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तब उसने न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति की पहचान उक्त घटना कारित करने वाले आरोपी के रूप में संदेह के परे पहचान किया जाना बताया है। साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि आरोपी उसके साथ उपरोक्त पांच माह की अवधि में उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्संग किया करता था। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा अपने अभिभावकगण को फोन लगाने का कहने पर आरोपी उसको धमकाता था। बाद में पुलिस ने उसे आरोपी के साथ दस्तयाब किया था तथा मलाजखण्ड पुलिस ने उसे मलाजखण्ड वापस लाई थी एवं दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी.1 निर्मित किया था तथा पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था तथा उसके अभिभावकगण को बाद में उसे सुपुर्दगी पर दिया गया था एवं सुपुर्दगी कार्यवाही कर सुपुर्दगी पंचनामा प्रपी03 निर्मित किया था। साक्षी ने आगे यह व्यक्त किया है कि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्संबंध में कथन दिया है।

11. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क किया गया है कि अभियोक्त्री ने अपने न्यायालयीन बयान में अभियोजन कथन के विपरीत पूर्णतः भिन्न (New Version) कथन किया है। यह भी आधार लिया गया है कि अभियोक्त्री के न्यायालयीन बयान एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के बयान के अंतर्गत एकरूपता नहीं है। उक्त आधार पर अभियोक्त्री की विश्वसनीयता पर प्रबल आक्षेप किया गया है।

12. लैंगिक अपराध के संबंध में सर्वप्रथम विक्टिम की हैसियत एवं उसकी साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधिक स्थिति की समीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत:- **Gurmit Singh v/s Punjab State, AIR 1996 S.C. 1393** अवलोकनीय है।

"A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act

nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated in the Evidence Act similar to illustration .

(b) to Section 114 which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction on her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

"The testimony of victim in cases of sexual offences is vital and unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement the courts should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused. Where her testimony inspires confidence and is found to be reliable seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as a rule in such cases amounts to adding insult to injury why should the evidence of a girl or a woman who complains of rape or

sexual molestation be viewed with doubt, disbelief or a suspicion. The court while appreciating the evidence of a prosecutrix may look for some assurance of her statement to satisfy Its judicial conscience. Since she is a witness who is interested in the out come of the charge leveled by her but there is no requirement of law to insist upon corroboration of her statement to base conviction of a accused".

13. उक्त रेसियो के परिप्रेक्ष्य में अभियोक्त्री के बयान की सूक्ष्म समीक्षा की गई। अभियोक्त्री ने अपने बयान में आरोपी की पहचान संदेह के परे प्रमाणित की है, अभियोक्त्री के बयान में यह आया है कि घटना दिनांक को उसे व्यपहरण कर रायपुर, वर्धा, नागपुर ले जाया जाकर उसके साथ बलपूर्वक सेक्सुएल एसाल्ट कारित किया गया। अभियोक्त्री अपने न्यायालयीन कथन में संगत एवं स्थिर है। बचाव पक्ष द्वारा अभियोक्त्री की जिरह में निम्न सुझाव दिया गया है जो कि आरोपी के विरुद्ध जाता है (यह कहना गलत है कि उक्त अवधि में अभियोक्त्री के मर्जी से आरोपी ने उसके साथ सेक्सुएल इंटर कोर्स कारित किया)।

14. चूंकि घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष के नीचे होना पाई गई है। अतः तत्संबंध में उसकी सहमति (Consent) महत्वहीन हो जाती है। अभियोक्त्री ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि डाक में उपस्थित आरोपी को पूर्व में उसने भय के कारण पहचान नहीं की थी। बाद में साक्षी ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी ने ही उसके साथ पांच माह तक अपने कार्यस्थल पर रहकर झोपड़ी में उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुएल एसाल्ट कारित किया था।

15. तत्संबंध में अभियोक्त्री के अभिभावकगण हेमा (अ.सा.1) एवं हल्कूदास (अ.सा.2) ने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को उनकी पुत्री कक्षा दसवीं की छात्रा थी, जो घटना दिनांक को स्कूल गई थी तथा शाम को वापस नहीं लौटने पर मलाजखण्ड थाने में मिसिंग की रिपोर्ट लिखायी गई थी, जिसे कि पुलिस निरीक्षक अजय मार्को ने अभियोक्त्री के अभिभावकगण के बताए अनुसार घटना के संबंध में मिसिंग रिपोर्ट प्र0पी012 का पंजीकरण किया जाना प्रमाणित किया है तथा उसके

आधार पर गुम इंसान प्र0पी014 की कायमी होना प्रमाणित किया गया है। हेमा (अ.सा.1) एवं हल्कूदास (अ.सा.2) ने बयान में आगे व्यक्त किया है कि लगभग पांच-साढ़े पांच माह बाद अभियोक्त्री आरोपी के साथ दस्तयाब हुई थी वह मलाजखण्ड थाने पर आई थी तथा पुलिस ने उनके समक्ष दस्तयाबी की कार्यवाही की थी। हेमा (अ.सा.1) एवं हल्कूदास (अ.सा.2) ने आगे व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री ने उनसे यह शिकायत की थी कि आरोपी छोटू द्वारा उसका व्यपहरण कर नागपुर, वर्धा एवं रायपुर ले जाया गया था तथा उसके साथ बलात्कार किया था। बाद में पुलिस ने उन्हें अभियोक्त्री को सुपुर्द किया था तथा उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। अभियोजन साक्षी हल्कूदास ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि अभियोक्त्री के मिलने पर पुलिस ने उसके समक्ष दस्तयाबी पंचनामा प्रपी01 की कार्यवाही की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा अभियोक्त्री को मेडिकल परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट ले जाया गया था तथा उसने मेडिकल परीक्षण हेतु सहमति दी थी। बाद में पुलिस ने अभियोक्त्री को उसे सुपुर्द किया था सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी03 है, जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अभियोजन साक्षी हेमा और हल्कूदास का बयान भारतीय साक्ष्य विधान की धारा 8 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य है चूंकि अभियोक्त्री ने दस्तयाबी के तत्काल समय आरोपी के उक्त कृत्य के संबंध में अपने अभिभावकगण से शिकायत की गई थी। अभियोक्त्री का उक्त आचरण सुसंगत है।

16. डॉ० रश्मि वाघमारे (अ.सा.-11) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 08.02.2016 को शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट में महिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मलाजखण्ड द्वारा अभियोक्त्री को परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसके शरीर का परीक्षण करने पर शरीर तथा प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट नहीं थी। द्वितीय लैंगिक लक्षण उम्र के अनुसार विकसित थे, पेट नर्म था। आंतरिक परीक्षण करने पर अभियोक्त्री की हाईमन झिल्ली फटी हुई थी।

उसके वैजाइना में 2 उंगलियां प्रवेश कर रही थी तथा वह संभोग की आदि थी। साक्षी ने अभियोक्त्री के दो वैजाइनल स्लाइड तथा भूरे रंग की अंडरवियर सीलबंद कर आरक्षक को सुपुर्द किया था एवं उम्र निर्धारण हेतु घुटने के एक्सरे की सलाह दी थी। उक्त परीक्षण की रिपोर्ट प्र.पी.15 जारी किया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। जिरह में यह साक्षी स्थिर है। यद्यपि मेडिकल साक्षी ने अभियोक्त्री की रेडियोलॉजिकल आयु की जाँच हेतु एक्स-रे की सलाह दी गई है। उक्त एक्स-रे न कराए जाने के आधार पर अभियोजन मामले को कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

17. डॉ० एन.एस.कुमरे (अ.सा.9) ने अपने बयान में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 08.02.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मलाजखण्ड के आरक्षक 122 धनपाल द्वारा आरोपी छोटू सिंह पिता पूरनसिंह को पेश करने पर उसका चिकित्सीय परीक्षण किया था। अभियुक्त सामान्य कद काठी का था, सभी पैरामीटर सामान्य थे सैक्स आर्गन पूर्ण रूप से विकसित थे। उनके मतानुसार अभियुक्त संभोग करने में सक्षम था, जिसकी सीमन स्लाइड तैयार कर एवं अंडरवियर जप्त कर आरक्षक को सौंप दिया था। उनकी रिपोर्ट प्र०पी० 12 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है।

18. सहायक उप निरीक्षक सिरपत महोबे (अ.सा.6) ने व्यक्त किया है कि उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण करके मौकानक्शा प्र०पी००7 निर्मित किया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। आगे व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री के स्कूल के प्राचार्य के कार्यालय से उसकी जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र प्र०पी००6 प्राप्त किया था। विवेचक ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री के प्रमाण पत्र प्र०पी० 6 में अभियोक्त्री की जन्म तारीख 10.02.2000 लेख है तथा प्र०पी००5 में जन्म तारीख 10.07.2000 अंकित है। विवेचक सिरपत महोबे के बयान में अभियोक्त्री की जन्मतिथि के संबंध में उक्त तुच्छ विसंगति के आधार पर

अभियोजन का संपूर्ण कथन समाप्त नहीं हो जाता।

19. उक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक 02.09.2015 से दिनांक 08.02.2016 के मध्य आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री को व्यपहरण कर रायपुर, वर्धा, नागपुर ले जाया जाकर उसके साथ बलात्कार किए जाने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी अवयस्क बालिका वास्तविक आरोपी के बजाए अन्य किसी व्यक्ति को उक्त प्रकार के अपराध में झूठा क्यों आलिप्त करेगी, क्योंकि उसकी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। किसी भी अवयस्क बालिका के साथ उक्त प्रकार से बलात्कार किए जाने से उसके मानव अधिकार का हनन होता है एवं उसके मस्तिष्क पर भविष्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है जिससे वह जिन्दगी भर उबर नहीं पाती है।

20. उक्त संबंध में स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रामदेव सिंह ए.आई.आर. 2004 सु.को. 1290 एवं लिल्लू उर्फ राजेश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 किमिनल लॉ जर्नल 2446 (सु.को.) अवलोकनीय है।

In *Lillu @ Rajesh & Anr vs State Of Haryana* on 11 April, 2013 this court dealt with the issue and held that rape is violative of victims fundamental right under Article 21 of the Constitution. So, the courts should deal with such cases sternly and severely. Sexual violence, apart from being a dehumanizing act, is an unlawful intrusion on the right of privacy and sanctity of a woman. It is a serious blow to her supreme honour and offends her self-esteem and dignity as well. It degrades and humiliates the victim and where the victim is a helpless innocent child or a minor, it leaves behind a traumatic experience. A rapist not only causes physical injuries, but leaves behind a scar on the most cherished position of a woman, i.e. her dignity, honour, reputation and chastity. Rape is not only an offence against the person of a woman, rather a crime against the entire society. It is a crime against basic human rights and also violates the most cherished fundamental

right guaranteed under Article 21 of the Constitution.

12. In view of International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966; United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985, rape survivors are entitled to legal recourse that does not retraumatize them or violate their physical or mental integrity and dignity. They are also entitled to medical procedures conducted in a manner that respects their right to consent. Medical procedures should not be carried out in a manner that constitutes cruel, inhuman, or degrading treatment and health should be of paramount consideration while dealing with gender-based violence.

The State is under an obligation to make such services available to survivors of sexual violence. Proper measures should be taken to ensure their safety and there should be no arbitrary or unlawful interference with his privacy.

21. उक्त संबंध में अधिनियम 2012 की धारा 29 एवं 30 अवलोकनीय है।

Presumption as to certain offences-

Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under sections 3, 5, 7 and 9 of this Act, the special court **shall presume** that such person has committed or abetted or attempted to commit the offence, as the case may be **unless the contrary is proved**.

Sec. 30 presumption of culpable mental state-

In any prosecution for any offence under this Act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the special court shall presume the existence of such mental state but it shall be a defence for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.

22. प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत आरोपी अधिनियम 2012 के अंतर्गत वर्णित उपधारणा को खंडित करने में असफल रहता है।

23. निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी छोटू सिंह के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 (1), 376 (2) (एन) भा.द.वि. एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित किया है। अतः यह न्यायालय

आरोपी छोटूसिंह को धारा 363, 366, 376 (2) (एन) भा.द.वि. एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में दोषी पाती है।

सजा के प्रश्न पर आरोपी को सुनने के लिए यह निर्णय अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है। सही / -

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

24. सजा के प्रश्न पर आरोपी और उसके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क किया गया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है तथा पूर्व की कोई दोषसिद्धि का इतिहास नहीं है, नवयुवक है। अतः नरम रुख अपनाते हुए न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने की याचना की गई।

25. इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आरोपी को अधिकतम दण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया है।

26. तर्क पर विचार किया गया।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सजा के बिन्दु पर सलीम के मामले में निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया है :-

State of M.P. V/S Saleem & Ors. 2005 Cr.L.R. (S.C.)575

The object should be to protect the society and to deter the criminal in achieving the avowed object of law by imposing appropriate sentence. It is expected that the courts would operate the sentencing system so as to impose such sentence which reflects the conscience of the society and the sentencing process has to be stern where it should be. The courts will be failing in its duty if appropriate punishment is not awarded for a crime which has been committed not only against the individual victim but also against the society to which the criminal and victim belong. The punishment to be awarded for a crime must not be irrelevant but it should conform to and be consistent

with the atrocity and brutality with which the crime has been perpetrated, the enormity of the crime warranting public abhorance and it should “ respond to the society cry for justice against the criminal.”

28. अतः अपराध की प्रकृति को देखते हुए दोषी छोटूसिंह पिता पूरनसिंह नागवंशी को धारा 363 भा.द.वि. के अंतर्गत 02 (दो) वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/— (पांच सौ) रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भा.द.वि. के अंतर्गत 05 (पांच) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/— (एक हजार) रुपए अर्थदण्ड एवं 376 (2)(एन) भा.द.वि. के अंतर्गत 10 (दस) वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/— (पांच हजार) रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत 10 (दस) वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/— (पांच हजार) रुपए अर्थदण्ड के दण्डादेश से दंडादिष्ट किए जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होती है। तदनुसार दोषी छोटूसिंह पिता पूरनसिंह नागवंशी को धारा 363 भा.द.वि. के अंतर्गत 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/—रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भा.द.वि. के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/—रुपए अर्थदण्ड एवं 376 (2)(एन) भा.द.वि. के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/—रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/—रुपए अर्थदण्ड के दण्डादेश से दंडादिष्ट किया जाता है। अर्थदण्ड अदाएगी के व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक्-पृथक् भुगताया जावे।

// दण्डादेश चार्ट //

क्र.	धारा	कारावास की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम
1.	363 भा.द.वि.	02 वर्ष सश्रम कारावास	500/— रुपए	06 माह सश्रम कारावास
2.	366 भा.द.वि.	05 वर्ष सश्रम कारावास	1000/— रुपए	06 माह सश्रम कारावास

3.	376 (2)(एन) भा.द.वि.	10 वर्ष सश्रम कारावास	5000 /— रुपए	06 माह सश्रम कारावास
4.	4 पॉक्सो एक्ट 2012	10 वर्ष सश्रम कारावास	5000 /— रुपए	06 माह सश्रम कारावास

29. चूंकि मुख्य अपराध धारा 376 (2)(एन) भा.द.वि. के अंतर्गत आरोपी को दंडादिष्ट किया गया है। अतः पृथक् से 376 (1) भा.द.वि. के अंतर्गत दंडादेश प्रारित नहीं किया जा रहा है।

30. समस्त धाराओं में कारावास की सजाएँ एक साथ (Concurrent) भुगतवाई जावे।

31. दोषी छोटूसिंह नागवंशी द्वारा अदा की गई अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि अपील अवधि पश्चात् अन्यथा आदेश न होने पर धारा 357 (1) द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रतिकर स्वरूप 11,500 /—रुपए पीड़िता को देय हो।

32. धारा 357 (ए) द.प्र.सं. के अंतर्गत पीड़िता विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायोचित प्रतिकर राशि प्राप्त करने की अधिकारी होगी। उक्त संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट (म.प्र.) को अभियोक्त्री को पर्याप्त प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(A) आरोपी छोटूसिंह दिनांक 08.02.2016 से लगातार आज दिनांक 10.05.2018 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, जिसे सजा के समक्ष समायोजित की जावे। तत्संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण-पत्र जारी किया जावे।

(B) निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जावे।

(C) मामले में जप्त संपत्ति स्लाईड अपील अवधि पश्चात् अन्यथा आदेश न होने पर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित।

10 मई, 2018

मेरे बोलने पर मुद्रित ।

सही / -

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर